पत्रांक/जी0एस0टी0/2022–23/ 2223032/ 234 राज्य कर

कार्यालय–आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊः दिनांक 20 जुलाई, 2022

समस्त,

एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम 2017 (जिसे आगे प्रान्तीय अधिनियम कहा गया है) की धारा 112 के खण्ड–3 में निम्नवत प्रावधान किये गये हैं–

112. Appeals to Appellate Tribunal -

(3) The Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act or under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 12 of 2017) for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order.

उपरोक्त धारा से स्पष्ट है कि प्रान्तीय अधिनियम की धारा 107 अथवा धारा 108 के विरूद्ध Tribunal में अपील आदेश पारित किये जाने की तिथि से 6 माह की अवधि के अन्दर की जानी होगी। वर्तमान में GST Tribunal का गठन न होने के कारण Tribunal में अपील दाखिल नहीं हो रही है, अपीलों के कालबाधन के समस्या के दृष्टिगत दिनांक 03.12.2019 को जारी Removal of difficulty (RoD) आदेश के माध्यम से इस सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी है–

2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that for the purpose of calculating,-

(a) the "three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal" in sub-section (1) of section 112, the start of the three months period shall be considered to be the later of the following dates:-

(i) date of communication of order; or

(ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office;

(b) the "six months from the date on which the said order has been passed" in

sub-section (3) of section 112, the start of the six months period shall be considered to be the later of the following dates:-

(i) date of communication of order; or

(ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रान्तीय अधिनियम की धारा 112(3) के अन्तर्गत की जाने वाली अपील President अथवा State President के कार्य–भार संभालने की तिथि से 6 माह के अन्दर की जा सकेगी। अतः जी0एस0टी0 लागू होने से Tribunal गठित होने की तिथि तक पारित किये गये समस्त अपीलीय आदेश Tribunal में अपील दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में कालबाधित नहीं होंगे।

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) द्वारा प्रान्तीय अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत पारित आदेशों की समीक्षा जोन स्तर पर गठित विधि समिति द्वारा की जा रही है तथा अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रान्तीय अधिनियम की धारा 112 के अन्तर्गत माननीय अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल किये जाने अथवा प्रान्तीय अधिनियम की धारा 116 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट योजित किये जाने सम्बन्धी संस्तुतियां की जा रहीं हैं। माननीय अधिकरण का गठन होने पर जोनल विधि समिति द्वारा जिन मामलों मे प्रान्तीय अधिनियम की धारा 112 के अन्तर्गत द्वितीय अपील योजित किये जाने की संस्तुति की गयी है उसके अनुपालन के अनुश्रवण हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग द्वारा एक माड्यूल (कोर्ट केस) विकसित किया गया है जिसमें विधि समिति की संस्तुतियों की प्रविष्टियां सुनिश्चित की जाय। विधि समिति द्वारा जिन मामलों में धारा 112 के अन्तर्गत अपील किये जाने की संस्तुति की जाएगी उन समस्त मामलों में अपील आधार तैयार कराते हुए उसकी प्रति सम्बन्धित पत्रावली पर रक्षित करायी जाय जिससे माननीय अधिकरण के गठन होने पर कोई कठिनाई न हो। विधि समिति द्वारा समीक्षा बैठकों का सुस्पष्ट कार्यवृत्त बनाया जाये तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 द्वारा भी पाक्षिक समीक्षा बैठकों में कोर्ट केस माड्यूल एवं विधि समिति के क्रियाकलापों का अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

20/7/2022

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।